Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अजअदालत .... मुकाम उप जिला कलेक्टर श्री विजयनगर

करतार सिंह आदि बनाम लच्छूराम आदि

किस्म मुकदमा 188 RTA नम्बर 20 सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही मय इतिशिंयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए।
24.4.19	आज यह वाद पत्र वादीगण द्वारा जरिये वकील पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 09/5/19 को पेश हो। Punjalke	
26.4.19	आज यह ~~पत्रावली~~ वादीगण वकील द्वारा उपस्थित होकर वाद पत्र को आगे नहीं चलाने तथा इसी स्टेज पर विड्रा करने की अनुमति देने के निवेदन पर पेशी में ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी के वाद पत्र को इसी स्टेज विड्रा करने के निवेदन पर विड्रा करने की अनुमति पर वाद पत्र विड्रा की जाती है पत्रावली में इसी स्टेज पर कार्यवाही बन्द की जाती है पत्रावली के मुकम्मल होकर दाखिल दफ्तर हो आदेश सुनाया गया। Punjalke उप जिला कलेक्टर श्री विजयनगर	Not Press 26.4.19 हरमीत Kartar

वाद पत्र

न्यायालय उपजिला कलैक्टर,
श्रीविजयनगर

1. करतारसिहं उम्र 76 वर्ष पुत्रश्री बिशनसिहं जाति मजबी निवासी चक 19 ए एस ढाणी श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राज)
2. हरभेजसिहं उम्र 55 वर्ष पुत्रश्री चनणसिहं जाति मजबी निवासी चक 19 ए एस ढाणी श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राज)

..वादी

बनाम्

1. लच्छूराम पुत्रश्री मिठूराम जाति बाजीगर निवासी चक 2 के ए एम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर
2. अमरजीत पुत्रश्री मिठूराम जाति बाजीगर निवासी चक 2 के ए एम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व),श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

..प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा188 राज.काश्त.अधि.।
बर बिनाय साक्ष्य हर किस्म।

श्रीमान्जी,

वादी की ओर से वाद पत्र निम्न है:–

1. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण का स्थाई एवं पंजीकृत पता वही है जो वाद पत्र के शीर्षक में दर्ज है।
2. यह कि वाके चक 19 ए.एस. तहसील श्रीविजयनगर का मुरब्बा नं.35 पत्थर सं. 236 /470 के किला नम्बर 1ता5 के 1.265 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी वादी सं.1के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा इसी मुरब्बा नं.35 पत्थर सं. 236/470 के किला नम्बर 16का 0.120,17 का 0.114,18 का 0.063,19 का .050, 20 का 0.026 हैक्टर कुल 0.379 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी वादी सं.2 के नाम से सयुक्तं रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि को आईन्दा वादपत्र में विवादित कृषि भूमि कहा जायेगा।जमाबंदीयों की प्रमाणित प्रतियां सलग्न वादपत्र है।
3. यह कि उक्त विवादित कृषि भूमि वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि है जो निरन्तर एवं शान्तिपूर्वक वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रहीहै तथा वादीगण अपने अपने नाम की उपरोक्त कृषि भूमि के खातेदार कृषक होने के नाते उसका हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने के विधिक अधिकारी है।
4. यह कि प्रतिवादी सं.1व2 का वादीगण की उक्त खातेदारी कृषि भूमि के सम्बधं मे

Scanned by CamScanner